न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट, जिला–रतलाम (म.प्र.)

(समक्ष : मनीष छापरिया)

Registration No.	**RCT- 391/2026**
Filing No	**1465/2026**
C.N.R. No	**MP4301-001951-2026**
Filing Date	**12-08-2026**

पुलिस थाना– आलोट, **जिला** रतलाम म0प्र0 के **अपराध कमांक** 423/2026 **अंतर्गत धारा 296(बी), 115(2), 351(3) बी.एन.एस.** से उद्भूत प्रकरण।

अभियोजन–:	म0प्र0 शासन की ओर से पुलिस थाना आलोट, रतलाम, जिला– रतलाम, मध्यप्रदेश
अभियोजन अधिकारी–:	श्री रविन्द्र भण्डारी ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण–:	**पवन उर्फ लखन पिता शंकरलाल गाड़ोलिया लोहार, उम्र–20 वर्ष, निवासी– भारत पेट्रोल पम्प के पास ताल रोड़ आलोट, जिला रतलाम म.प्र.**
प्रतिनिधित्व–:	श्री समरथ गुर्जर अधिवक्ता।

प्रारूप–ड़

घटना की तारीख	07.08.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	07.08.2026
आरोप पत्र की तारीख	12.08.2026
आरोपों के विरचना की तारीख	12.08.2026
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	12.08.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	12.08.2026
निर्णय दिनांक	12.08.2026

दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	**निरंक**

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दंप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01	पवन उर्फ लखन	धारा 35(3) बी.एन.एस. एस.के पालन में उपस्थित	12.08. 2026	धारा 296 बी.एन.एस. 2023	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	निरंक

प्रारूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क.–अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 01	सुरेश गाड़ोलिया लोहार	फरियादी साक्षी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
निरंक	निरंक	निरंक

ग–न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालीन प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन

सं.क्र	प्रदर्श	विवरण
01	प्र.पी.–1/अ.सा. 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्र.पी.–2/अ.सा. 01	नक्शा मौका
03.	प्र.पी.–3/अ.सा. 01	साक्षी सुरेश गाड़ोलिया लोहार के पुलिस कथन

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

सं.क्र	प्रदर्श	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ग–न्यायालीन प्रदर्श की सूची

स.क्र	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ–आवश्यक वस्तुयें

सं.क्र	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

: : नि र्ण य : :

(आज दिनांक 12.08.2026 को घोषित)

01. अभियुक्त पवन उर्फ लखन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के आरोप यह है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.08.2026 को समय करीब 10:30 बजे स्थान– फरियादी के घर के सामने, जनपद पंचायत के सामने ताल रोड़ आलोट, जिला रतलाम म.प्र. जो कि लोकस्थान है, पर फरियादी सुरेश गाड़ोलिया लोहार को मां बहन की की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अभियुक्त एवं आहत द्वारा संयुक्त रूप से राजीनामा बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर से आदेश दिनांक 12.08.2026 को अभियुक्त एवं अभियोगी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को बी.एन.एस. की धारा 115(2), 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय **बी.एन.एस. की धारा 296** के संबंध में पारित किया जा रहा है।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को सुबह करीब 10:30 बजे फरियादी उसके घर के बाहर बैठा था, तभी अभियुक्त लखन वाहां पर आया और हाट के सौदे को लेकर उसके साथ गाली गलौच करने लगा, फरियादी द्वारा गाली गलौच करने से मना किया गया तो अभियुक्त पवन ने फरियादी के साथ सब्जी काटने के चाकू से मारा, जिससे उसे चोटें आई थी। घटना का बीच बचाव विनोद तथा फरियादी के भाई मुकेश ने किया, तो अभियुक्त लखन उससे बोला कि आज तो बच गया आईंदा उसे जान से खत्म कर देगा। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04. न्यायालय द्वारा अभियुक्त पवन उर्फ लखन के विरूद्ध आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण की प्रार्थना की। प्रकरण में कोई आलिप्तकारी साक्ष्य न होने से अभियुक्त

परीक्षण नहीं किया गया और अभियुक्त द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05. प्रकरण में उचित निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न है :–

1. क्या अभियुक्त पवन उर्फ लखन ने दिनांक 07.08.2026 को समय करीब 10:30 बजे स्थान– फरियादी के घर के सामने, जनपद पंचायत के सामने ताल रोड़ आलोट, जिला रतलाम म.प्र. जो कि लोकस्थान है, पर फरियादी सुरेश गाड़ोलिया लोहार को मां बहन की की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

–: विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष :–

06. अभियोजन साक्षी फरियादी/आहत सुरेश गाड़ोलिया अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त को जानता है, वह उसका पड़ोसी है। घटना दिनांक को उसका अभियुक्त पवन उर्फ लखन से भैसों की व्यापार को लेकर मामूली वाद–विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उसने पुलिस थाना आलोट में रिपोर्ट की थी, जो **प्र.पी. 01** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका **प्र.पी. 02** बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे कोई पूछतांछ नहीं की थी।

07. उक्त साक्षी सुरेश गाड़ोलिया अ.सा.1 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील गाली गलौच की थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी–3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

08. भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित करने के लिये आवश्यक है कि अभियुक्त ने फरियादी और आहत को सार्वजनिक लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया हो। इस संबंध में साक्षी सुरेश गाड़ोलिया अ.सा.1 ने अभियुक्त द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और न ही कोई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत

किये हैं कि अभियुक्त द्वारा गाली–गलौंच की गयी हो। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी/आहत सुरेश गाड़ोलिया अ.सा.1 को सार्वजनिक लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया हो।

09. यह सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग सूचनाकर्ता साक्षी के न्यायालय के समक्ष कथन की पुष्टि या खंडन हेतु ही सुसंगत है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–1 में लेख तथ्यों के आधार पर अभियोजन का मामला किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण में राजीनामा होने से अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्षी भी परिक्षित नही कराया है। स्वयं फरियादी और आहत द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने से, कारित अपराध व्यक्तिगत श्रेणी में आने से, अन्य किसी साक्षी को परिक्षित कराये जाने से प्रकरण के गुण–दोषों पर कोई सारवान प्रभाव भी नहीं पड़ता। अतः उक्त साक्षी ने अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है और न ही साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के संबंध में किसी भी तथ्य की पुष्टि की है।

10. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पवन उर्फ लखन ने दिनांक 07.08.2026 को समय करीब 10:30 बजे स्थान– फरियादी के घर के सामने, जनपद पंचायत के सामने ताल रोड़ आलोट, जिला रतलाम म.प्र. जो कि लोकस्थान है, पर फरियादी सुरेश गाड़ोलिया लोहार को मां बहन की की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

11. फलस्वरूप अभियुक्त **पवन उर्फ लखन पिता शंकरलाल गाड़ोलिया लोहार, उम्र– 20 वर्ष, निवासी– भारत पेट्रोल पम्प के पास ताल रोड़ आलोट, जिला रतलाम म.प्र.** को **बी.एन.एस. की धारा 296** से संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्त द्वारा निष्पादित नियमित प्रतिभूति एवं बंधपत्र आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

13. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सब्जी काटने का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जायें और अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जाये।

14. प्रकरण में अभियुक्त की अन्वेषण जांच, विचारण दौरान अभिरक्षा के संबंध में अभियुक्त का बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के अंतर्गत पृथक से विवरण पत्रक तैयार किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

स्थानः—आलोट, जिला रतलाम
दिनांकः—12.08.2026

MANISH CHHAPARIYA
Digitally signed by MANISH CHHAPARIYA

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(मनीष छापरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आलोट, जिला—रतलाम (म0प्र0)

निर्णय मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मनीष छापरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आलोट, जिला—रतलाम (म0प्र0)